न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'तीसरे लॉन्च पैड' (Third Launchpad) की स्थापना से संबंधित परियोजना को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की जाएगी।

थर्ड (तीसरे) लॉन्च पैड' (TLP) के बारे में

- **मुख्य विशेषताएं:** यह **नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV) कार्यक्रम** सहित इसरो के महत्वाकांक्षी भविष्य के मिशनों को सपोर्ट करेगा। साथ ही, यह **लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) यानों** को भी सपोर्ट करने के लिए अनुकूल होगा। इन यानों में सेमी-क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 और NGLV के **भविष्य के स्केल-अप संस्करण** भी शामिल हैं।
  - नए NGLVs को **क्षैतिज रूप से भी असेम्बल** किया जा सकता है। यह **लॉन्च पैड से ऐसे NGLVs को प्रक्षेपित** करने में सक्षम होगा।
- **महत्त्व:** अधिक व बार-बार प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। साथ ही, **भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों** आदि के लिए भारत की **प्रक्षेपण क्षमता मज़बूत** होगी।

भारत के मौजूदा लॉन्च पैड

- वर्तमान में, इसरो **श्रीहरिकोटा में स्थित 2 लॉन्च पैड पर निर्भर है।** ये हैं- फर्स्ट लॉन्च पैड (FLP) और सेकंड लॉन्च पैड (SLP)।
  - FLP को **पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV)** के लिए विकसित किया गया है। यह PSLV और SSLV को लॉन्च करने में सहायता प्रदान कर रहा है।
  - SLP **मुख्य रूप से GSLV और LVM3** के लिए स्थापित किया गया है और यह **PSLV के लिए स्टैंडबाय** के रूप में भी कार्य करता है।
    - इसी से **चंद्रयान-3 मिशन** लॉन्च किया गया था और **गगनयान मिशन** लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है।

नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV) कार्यक्रम

- **NGLV के बारे में:** यह **इसरो द्वारा शुरू** किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य **सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और अन्य पेलोड** को लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट विकसित करना है। इस नये रॉकेट को **सूर्य रॉकेट** नाम दिया गया है।
- **विशेषताएं:**
  - यह **थ्री-स्टेज** व्हीकल है। इसमें **पहला स्टेज पुनः प्रयोज्य (Reusable)** है। पुन: प्रयोज्यता के परिणामस्वरूप **वहनीय प्रक्षेपण और मॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का विकास** संभव हो पाएगा।
  - बूस्टर स्टेज्स में **सेमी-क्रायोजेनिक प्रोपल्शन** का उपयोग होगा तथा ईंधन के रूप में **परिष्कृत केरोसिन व ऑक्सिडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन (LOX)** का उपयोग किया जाएगा।
  - इसकी पेलोड क्षमता, **वर्तमान पेलोड क्षमता से तीन गुना अधिक** होगी। इसकी लागत LVM3 की **तुलना में 1.5 गुना अधिक** होगी।

थर्ड लॉन्च पैड' (TLP) के लिए श्रीहरिकोटा का चुनाव करने का कारण:

- **पूर्वी तट पर अवस्थित:** श्रीहरिकोटा से पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाते हुए, पूर्व दिशा में सुविधापूर्वक प्रक्षेपण किया जा सकता है।
- **भूमध्य रेखा से निकटता:** चूँकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना सबसे तेज़ होता है, परिणामस्वरूप लॉन्च व्हीकल को **अतिरिक्त बल** मिलता है। इससे **पेलोड में और अधिक वृद्धि की जा सकती है तथा परिचालन लागत में कमी** आती है।
- **सुरक्षा:** परीक्षण के लिए कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है।
- **अन्य:** बड़े पैमाने पर निर्जन क्षेत्र और समुद्र के करीब है। इससे लॉन्च व्हीकल का उड़ान पथ पूरी तरह से समुद्र के ऊपर सुनिश्चित हो जाता है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के महत्त्व को उजागर किया गया

यूनिसेफ ने '**ग्लोबल आउटलुक 2025: प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन**' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में **DPI की रूपांतरकारी भूमिका** के बारे में बताया गया है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर (DPI) क्या है?

- यह उन **साझा डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है, जो सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित** करती हैं।
- इसके इकोसिस्टम में **प्रौद्योगिकी, बाजार और गवर्नेंस** शामिल हैं।

बच्चों के कल्याण में DPI की भूमिका

- **आवश्यक सेवाओं की समान उपलब्धता:** उदाहरण के लिए, **नागरिक पंजीकरण प्रणालियों** से जुड़े डिजिटल पहचान-पत्र आवश्यक सेवाओं तक आजीवन पहुंच को सक्षम बनाते हैं।
  - **शिक्षा:** उदाहरण के लिए **शिक्षा में मौजूदा अंतराल को कम करने** हेतु भारत का राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म **दीक्षा** लॉन्च किया गया है।
  - **स्वास्थ्य:** यह **इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुगम** बनाता है। उदाहरण के लिए जमैका में इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री से बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार हुआ है।
- यह बच्चों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर **वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा** देता है।
- यह लाभों के लक्षित वितरण और बेहतर डेटा साझाकरण को सक्षम करके **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करता है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होती हैं।**

सिफारिशें

- **CRVS को डिजिटाइज़ करना चाहिए,** ताकि ये डिजिटल पहचान-पत्र के लिए मूलभूत आधार के रूप में कार्य कर सकें।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के बीच **सुगम, सुरक्षित व संरक्षित डेटा विनिमय को संभव** किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन और साक्षरता के माध्यम से बच्चों, युवाओं तथा उनके परिवारों को सशक्त** बनाना चाहिए।
- बच्चों को प्रभावित करने वाली डिजिटल अवसंरचना डिजाइन करते समय **बच्चों की राय को शामिल करना अनिवार्य** होना चाहिए।

DPI के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां

- **खराब कनेक्टिविटी और डिजिटल असमानता:** उदाहरण के लिए- 15-24 वर्ष आयु वर्ग के केवल 43.6% **भारतीय ग्रामीण युवा** ही ईमेल भेज सकते हैं।
- **राष्ट्रीय पहचान-पत्र में सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स (CRVS) प्रणालियों का खराब एकीकरण:** यह सार्वभौमिक कवरेज में बाधा उत्पन्न करता है।
- **अन्य:** इसमें **डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और अलग-अलग प्रणालियों के बीच तालमेल की कमी; डेटा सुरक्षा, निगरानी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे** आदि शामिल हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट के उपयोग पर सलाह जारी की

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इन सलाहों से मतदाताओं को पता चल सकेगा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार किए जा रहे **कौन से कंटेंट AI से सृजित हैं या सिंथेटिक (कृत्रिम)** हैं। इन **सलाहों में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- **AI/ सिंथेटिक रूप से तैयार कंटेंट को लेबल करना:** ऐसी कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो या अन्य कंटेंट जो AI प्रौद्योगिकियों के उपयोग से तैयार किए गए हों या उनमें व्यापक बदलाव किए गए हों, उन्हें **स्पष्ट रूप से लेबल** किया जाए।
- **प्रचार सामग्री में प्रकटीकरण (Disclosure):** जहां भी सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग किया गया हो, वहां **डिस्क्लेमर देना अनिवार्य** होगा।

अन्य संबंधित घटनाक्रम:

- **दिल्ली पुलिस** ने AI के संभावित दुरुपयोग पर नजर रखने हेतु दिल्ली विधान सभा चुनाव पर **एक नोडल अधिकारी नियुक्त** किया है। यह अधिकारी चुनाव से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेगा।

चुनाव में AI के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- सोशल मीडिया में AI के उपयोग से **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनावों पर प्रभाव का आकलन एवं शोध** करना चाहिए।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा जवाबदेही और पारदर्शिता संबंधी दायित्वों के तहत किए गए **दावों को सत्यापित** करना चाहिए।
- नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट का पता लगाने और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु **विनियमित एल्गोरिदम फ़िल्टर** बनाने चाहिए।
- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए **AI के उपयोग पर वैश्विक मानक** स्थापित करने चाहिए।

चुनावों में AI का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
मतदाता और नागरिक समुदाय की बेहतर सहभागिता: AI-संचालित चैटबॉट्स से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा जा सकता है।	**डीपफेक्स:** AI से तैयार वास्तविक दिखने वाले डीपफेक ऑडियो और वीडियो मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना: AI का उपयोग करके चुनाव में धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों और विसंगतियों का पता लगाकर साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।	**एल्गोरिदम संबंधी पक्षपात:** मशीन को पक्षपाती डेटा से प्रशिक्षित करने पर अनुचित या भेदभाव वाले चुनाव प्रचार को बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहले से मौजूद असमानताएं और बढ़ सकती हैं।
डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणियां: AI किसी क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण करके राजनीतिक दलों को संसाधनों के बेहतर तरीके से आवंटन में मदद कर सकता है। साथ ही, यह तकनीक फंड जुटाने में भी मदद कर सकती है।	**मतदान व्यवहार को प्रभावित करना:** AI एल्गोरिदम का मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
मतदाता प्रोफाइलिंग और माइक्रो-टारगेटिंग: AI के उपयोग से मतदाता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे रियल टाइम आधार पर रणनीति बनाने, मतदाताओं से सही समय पर संपर्क बनाने और सही मतदाताओं तक पहुंचकर अपना संदेश प्रसारित करने में मदद मिल सकती है।	**तकनीक पर निर्भरता बढ़ना:** AI टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने से निजता के अधिकार के उल्लंघन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, चुनाव प्रचार में तकनीकी गड़बड़ी का सामना कर पड़ सकता है और साइबर हमलों या सिस्टम फेलियर का खतरा बढ़ सकता है।

भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है

स्पेस डॉकिंग को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पेडेक्स/SpaDeX) मिशन के तहत दो छोटे अंतरिक्ष यानों- **SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट) का** उपयोग करके संपन्न किया गया है।

गौरतलब है कि **स्पेस डॉकिंग** के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान दो उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे वे एक यूनिट बन जाते हैं।

- स्पेस डॉकिंग करने वाले **अन्य तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** हैं।

स्पेडेक्स (SpaDeX) मिशन के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** SpaDeX और 24 PS4-ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल (POEM-4) पेलोड्स को ISRO द्वारा PSLV-C60 के माध्यम से दिसंबर, 2024 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
- **मिशन के लक्ष्य:**
  - SDX01 (चेज़र) को SDX02 (टारगेट) के पास लाना और स्वतः संचालित डॉकिंग प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन करना।
  - डॉकिंग के बाद, एक संयुक्त सिस्टम की स्थिरता और इसे एक इकाई के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करना।
  - टारगेट अंतरिक्ष यान की कार्य अवधि को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना।
  - डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों के मध्य पावर ट्रांसफर का परीक्षण करना।
- **मिशन की अवधि:** डॉकिंग संपन्न होने के बाद दो वर्ष तक।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग:**
  - अंतरिक्ष यानों के बीच स्वतः संचालित संचार के लिए **इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक (ISL)** का उपयोग किया गया है।
  - **ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित नवीन रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपेगेशन (RODP) प्रोसेसर:** इसका उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
  - **इस मिशन को सक्षम करने के लिए विकसित अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियां:**
    - डॉकिंग मैकेनिज्म और सेंसर सूट;
    - स्वतः संचालित तरीके से दूसरे अंतरिक्ष यान के पास आना और उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना (**ऑटोनोमस रेंडेज़वस एंड डॉकिंग स्ट्रेटेजी**), आदि।

स्पेडेक्स मिशन का महत्त्व

- **भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक:** जैसे चंद्रमा से सैंपल वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का निर्माण करना, आदि।
- **उपग्रह की मरम्मत और रखरखाव:** डॉकिंग से उपग्रहों की मरम्मत करने और उनमें ईंधन की पुनः आपूर्ति करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी परिचालन अवधि बढ़ जाती है।
- **भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए मददगार:** यह तब उपयोगी होता है, जब **एक ही मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की** आवश्यकता होती है।
- **अन्य महत्त्व:** इससे **स्पेस रोबोटिक्स, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन** आदि में सहायता मिलेगी।

RBI ने 2024-25 के लिए अपर लेयर (NBFC-UL) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) की सूची जारी की

- इस सूची में **LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** आदि शामिल हैं। यह सूचीकरण NBFCs के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क यानी **स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR)** पर आधारित है।
  - एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है, तो उसे **कम-से-कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक आवश्यकता का पालन** करना होता है।
- इस फ्रेमवर्क को **संक्रामक या प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, विनियमन में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने एवं गुणवत्ता को मजबूत करने तथा NBFC के जोखिम प्रबंधन में सुधार** करने के लिए पेश किया गया है।
  - **संक्रामक जोखिम का अर्थ है** वित्तीय प्रणाली में एक संस्थान, उद्योग, या क्षेत्र में उत्पन्न हुए संकट या अस्थिरता का **अन्य संस्थानों, उद्योगों, या क्षेत्रों में फैल जाना।**

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के बारे में

- **पंजीकरण:** कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत।
- **उद्देश्य:** आमतौर पर **ऋण देने की गतिविधियों** में संलग्न होती है। यद्यपि NBFC उन संस्थाओं को ऋण नहीं देती है जो **मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधि, वस्तुओं (प्रतिभूतियों को छोड़कर) के व्यापार और अन्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्ति** (जैसे बिक्री, खरीद, निर्माण आदि) से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं।
- बैंकों के विपरीत NBFC **मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती यह केवल सावधि जमा स्वीकार** कर सकती है। ये **भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं** हैं। ये स्वयं पर आहरित **चेक जारी नहीं** कर सकती हैं।
- NBFC के जमाकर्ताओं को **जमा बीमा सुविधा नहीं** मिलती है।

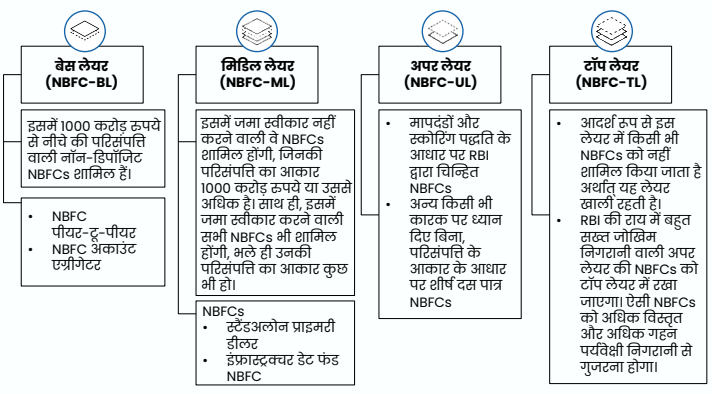

RBI ने भारतीय रुपये में सीमा-पार लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए

हल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** के तहत जारी मौजूदा **विनियमों की समीक्षा** की। इस कदम का उद्देश्य **भारतीय रुपये में सीमा-पार लेन-देन यानी 'रुपये' के अंतर्राष्ट्रीयकरण** को बढ़ावा देना है।

- **RBI द्वारा FEMA विनियमों में किए गए हालिया बदलाव:**
  - **विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को दिए गए अधिकार:**
    - वे अधिकृत डीलर (Authorized Dealer) बैंकों की विदेशी शाखाओं में INR खाते खोल सकते हैं। इन खातों का उपयोग भारत में रहने वाले व्यक्तियों के साथ सभी अनुमत **चालू (current) और पूंजी खाता (capital account) लेन-देनों को निपटाने** के लिए किया जा सकता है।
    - वे अपने **विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR) और विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता (SVRA)** जैसे रिपैट्रिएबल INR खातों में मौजूद बैलेंस का उपयोग करके अन्य विदेशियों के साथ लेन-देन कर सकते हैं।
    - **रिपैट्रिएबल INR खातों में बैलेंस राशि का उपयोग विदेशी निवेश** के लिए किया जा सकता है।
  - भारतीय निर्यातक अब **विदेशों में किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकेंगे। इन खातों का उपयोग व्यापारिक लेन-देन को निपटाने, निर्यात से अर्जित धनराशि प्राप्त करने और इन धनराशियों का आयात के भुगतान** के लिए उपयोग कर सकेंगे।

- **विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRA) के बारे में**
  - देश में स्थित भारतीय बैंकों में विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रुपये में खोले गए खातों को 'विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता' कहते हैं।
  - यह विदेशी संस्थाओं की भारतीय रुपये में होल्डिंग्स को भारतीय बैंक में सुरक्षित रखने में मदद करता है।
  - जब कोई भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को रुपये में भुगतान करना चाहता है, तो वह राशि को इस वोस्ट्रो खाते में जमा करता है।
    - इसी प्रकार, यदि विदेशी व्यापारी भारतीय निर्यातक को भुगतान करना चाहता है, तो वह इस खाते में जमा राशि से रुपये में भुगतान कर सकता है।
- **विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR) के बारे में:**
  - यह एक प्रकार का चालू खाता (current account) है। इसे भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कंपनी भारत में किसी प्रकार के व्यावसायिक हित के लिए खोल सकता है।
  - इस खाते का उपयोग निर्दिष्ट व्यापारिक लेन-देन, विदेशी निवेश, बाहरी वाणिज्यिक उधारी आदि के लिए किया जा सकता है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है?

- यह एक प्रक्रिया है, जिसके तहत **अन्य देशों के साथ लेन-देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाया** जाता है।
- इसके तहत **शुरुआत में रुपये में आयात और निर्यात व्यापार को बढ़ावा** दिया जाता है। फिर इसे अन्य **चालू खाता लेन-देन में, और अंत में पूंजी खाता लेन-देन में उपयोग** में लाया जाता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- रुपये में लेन-देन करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशों में घटित घटनाओं से आहत होने से बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे **वित्तीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने को बढ़ावा** मिलेगा।
- व्यापारिक लेन-देन में रुपये का उपयोग करने से **व्यापार सुगमता** को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे **डॉलर की मांग में कमी** आएगी और **भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि** होगी।
- बाहरी आर्थिक आघातों से निपटने के लिए **अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम** हो जाएगी।

अन्य सुर्ख़ियां

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

हाल ही में, **कर्नाटक कैबिनेट उप-समिति ने चार वन क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित** करने की मंजूरी प्रदान की है।

- इनमें **भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, बांकापुरा भेड़िया अभयारण्य, उत्तरागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य और अरसीकेरे भालू अभयारण्य** शामिल हैं।
- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के बारे में**
- ये क्षेत्र विशिष्ट **पर्यावरणीय संसाधनों** से संपन्न होते हैं, जिनके लिए **विशेष संरक्षण** की आवश्यकता होती है। ESZ की परिभाषा **राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (2006)** में दी गई है।
- कोई राज्य **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ESZ का प्रस्ताव** कर सकता है।
- ESZ में **स्थानीय गतिविधियां (जैसे कृषि और निर्माण कार्य)** विनियमित की जाती हैं, लेकिन जब तक विशेष रूप से प्रतिबंध न हो, इन्हें पूरी तरह नहीं रोका जाता है।
- **महत्त्व:**
  - ये संरक्षित क्षेत्रों या अन्य प्राकृतिक स्थलों जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्रों के लिए **"शॉक अब्जॉर्बर"** के रूप में कार्य करते हैं।
  - ये उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में **संक्रमण क्षेत्र** के रूप में कार्य करते हैं।

ग्लेन रॉकेट

- ब्लू ओरिजिन का विशाल **न्यू ग्लेन रॉकेट अपने पहले अंतरिक्ष मिशन (NG-1) के लिए फ्लोरिडा** से लॉन्च किया गया।
  - **मिशन का लक्ष्य:** ब्लू रिंग पाथफाइंडर परीक्षण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना और रॉकेट के बूस्टर को **अटलांटिक महासागर** में एक ड्रोन जहाज पर उतारना।
  - यह मिशन रॉकेट की **पुन: प्रयोज्यता को भी प्रदर्शित** करेगा। पुन: प्रयोज्यता तकनीक **लॉन्च लागत को कम करने और मिशन की दक्षता बढ़ाने में सहायक** होती है।
  - **ब्लू ओरिजिन** एक निजी कंपनी है, जिसकी स्थापना **जेफ बेजोस** ने वर्ष 2000 में की थी।
- **अन्य प्रमुख वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यम और उनके रॉकेट**
  - **स्पेसएक्स:** फाल्कन9, स्टारशिप आदि।
  - **यूनाइटेड लॉन्च व्हीकल (ULA):** एटलस V, डेल्टा IV, और वल्कन सेंटौर।
  - **अग्निकुल कॉसमॉस:** अग्निबाण SOrTeD आदि।

ऑलिव रिडले कछुए

ऑलिव रिडले कछुओं की मौतों में हुई वृद्धि के मद्देनजर **तमिलनाडु के मुख्य सचिव एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक** करेंगे।

ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में

- इनका नाम इनके **जैतून जैसे हरे रंग और दिल के आकार के खोल** से प्रेरित है।
- यह समुद्री कछुओं की **सबसे छोटी और सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियों** में से एक है। यह प्रजाति मुख्य रूप से **प्रशांत, हिन्द और अटलांटिक महासागरों** के गर्म जल में पाई जाती है।
- यह प्रजाति **अरिबादा नामक अपनी सामूहिक नेस्टिंग** के लिए जानी जाती है। इस दौरान हजारों मादाएं एक साथ एक ही समुद्र तट पर अंडे देने आती हैं।
- **आहार संबंधी विशेषताएं:** यह मांसाहारी प्रजाति है। मुख्य रूप से जेलीफ़िश, झींगा, घोंघे, केकड़े, मोलस्क और अलग-अलग प्रकार की मछलियां व उनके अंडे खाती हैं।
- **खतरे:** मछली पकड़ने की दोषपूर्ण प्रथाएं; पर्यटन केंद्रों और बंदरगाहों के निर्माण से उनके घोंसले वाले क्षेत्रों का नुकसान।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची:** वल्नरेबल।
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972:** अनुसूची-1 में सूचीबद्ध।
  - **CITES:** परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।

वेतन आयोग (Pay Commission)

केंद्र सरकार ने **आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी** दी है।

वेतन आयोग के बारे में

- **गठन:** केंद्र सरकार द्वारा।
- 1947 से अब तक **सात वेतन आयोग गठित** किए जा चुके हैं।
  - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें **2016** में लागू हुई थीं। इसका कार्यकाल **2026 में पूरा होने वाला** है।
  - सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष **न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर** थे।
- **महत्त्व:** इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट

यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने जारी की है। इस रिपोर्ट में **आर्थिक, पर्यावरण, भू-राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रकों से जुड़े वैश्विक जोखिमों** को वर्गीकृत किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- इन जोखिमों का मूल्यांकन **अल्पकालिक (1-2 वर्ष) और दीर्घकालिक (10 वर्ष)**, दोनों आधारों पर किया गया है। इससे **नीति निर्माताओं को तात्कालिक और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन** मिल सकेगा।
- **अल्पकालिक जोखिम:** तीन सबसे बड़े जोखिम हैं- **दुष्प्रचार (Disinformation) और भ्रामक सूचना का प्रसार (Misinformation), चरम मौसम की घटनाएं तथा राज्य समर्थित सशस्त्र संघर्ष।**
  - **दुष्प्रचार** के तहत गलत सूचना जानबूझकर फैलाई जाती है।
  - **भ्रामक सूचना** के तहत अनजाने में गलत सूचना फैलाई जाती है।
- **दीर्घकालिक जोखिम: तीन सबसे बड़े जोखिम हैं-**
  - चरम मौसम की घटनाएं; जैव विविधता को नुकसान; पारिस्थितिकी-तंत्र का विघटन तथा पृथ्वी की प्रणालियों में व्यापक बदलाव।

मूसी नदी (Musi River)

मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतों को **'वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025'** में शामिल किया गया है।

- **'वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच' दो वर्षों पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में **सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई** को बढ़ावा देना है।

मूसी नदी के बारे में

- **उद्गम: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अनंतगिरि की पहाड़ियों** से।
- यह **कृष्णा नदी** की बड़ी सहायक नदियों में से एक है।
- इस नदी पर **उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों का निर्माण** किया गया है।
- **ईसी** (8 किलोमीटर) और **मूसा** (13 किलोमीटर) नामक दो **नदिकाएं (Rivulets) मिलकर मूसी नदी** का निर्माण करती हैं।
- **महत्त्व:** यह नदी **हैदराबाद शहर** के लिए जल का प्रमुख स्रोत है।

दांपत्य अधिकार (Conjugal Rights)

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दांपत्य या वैवाहिक जीवन में लौटने का अधिकार और भरण-पोषण के अधिकार पर न्यायिक कार्यवाहियां एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग-अलग हैं।

'दांपत्य अधिकार' के बारे में

- दांपत्य अधिकार वास्तव में **विवाह संस्था द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। इनमें साथ रहने का अधिकार; पति या पत्नी का अपने जीवनसाथी के समाज के साथ सौहार्द में रहने का अधिकार** आदि शामिल हैं।
- **कानून इन अधिकारों को मान्यता देता है।** जैसे कि- विवाह, तलाक आदि से संबंधित पर्सनल लॉ के तहत तथा **दंड विधि** के तहत जीवनसाथी को भरण-पोषण और गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता के अधिकार।
- **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:** यह दांपत्य अधिकारों से संबंधित है। इसके अनुसार यदि **पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के** एक-दूसरे के साथ रहना छोड़ देता/ देती है, तो पीड़ित पक्ष **दांपत्य अधिकारों की पुनर्बहाली के लिए अदालत की शरण** ले सकता है।
- **मुस्लिम पर्सनल लॉ और ईसाई पारिवारिक कानून पर तलाक अधिनियम, 1869** में भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के **सात प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) लॉन्च** किया।

- इन हवाई अड्डों में **मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद** शामिल हैं।

FTI-TTP के बारे में

- यह भारत सरकार के **'विकसित भारत@2047 विज़न'** का हिस्सा है।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय गृह मंत्रालय।
- **नोडल एजेंसी:** इमिग्रेशन ब्यूरो।
- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिक गेट के माध्यम से **इमिग्रेशन क्लीयरेंस प्रक्रिया को तेज करना।**
- **इस योजना को दो चरणों में लागू किया जा रहा है:**
  - **पहले चरण में,** भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक शामिल हैं।
  - **दूसरे चरण में,** भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को कवर किया जाएगा।
- **कवर किए जाने वाले हवाई अड्डे:** 21 प्रमुख हवाई अड्डे।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

काबो वर्डे (राजधानी: प्राया)

विश्व बैंक ने अपनी **'देश जलवायु और विकास रिपोर्ट'** में अनुमान लगाया है कि काबो वर्डे को अपनी जलवायु और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए **सालाना 140 मिलियन डॉलर के निवेश** की आवश्यकता है।

काबो वर्डे के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति: पश्चिम अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक महासागर** में अवस्थित है।
  - यह उत्तर में **बारलावेंटो (विंडवार्ड) समूह और दक्षिण में सोटावेंटो (लीवार्ड) समूह** में विभाजित है।
  - **सबसे बड़ा बंदरगाह:** साओ विसेंट में मिंडेलो।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - यह ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित **एक छोटा द्वीपसमूह** है।
  - **भू-भाग:** इसके पूर्वी भाग में भूगर्भीय रूप से पुराने व समतल द्वीप हैं तथा पश्चिम में नए एवं अपेक्षाकृत अधिक पहाड़ी द्वीप हैं।
  - **जलवायु:** साल भर गर्म तापमान रहता है। बहुत कम वर्षा होती है। अटलांटिक से समुद्री पवनें चलती हैं।

त्रुटि सुधार: 24 दिसंबर, 2024

- **'महाराष्ट्र राज्य ने 'महाराष्ट्र जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2024' पारित किया'** आर्टिकल में यह गलत उल्लेख किया गया था कि **मॉडल जेल अधिनियम, 2023 ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लिया है।**
  - सही जानकारी यह है कि **केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'मॉडल जेल अधिनियम, 2023' तैयार किया है, जो ब्रिटिश युग के कानूनों में सुधार के लिए राज्यों हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है।**
  - **'जेल अधिनियम, 1894', 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950'** के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा की गई है तथा उन्हें **'मॉडल जेल अधिनियम, 2023'** में समाहित किया गया है।